अनुदान संख्या 71 – पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 71 – MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	913,43,00	913,44,00	864,83,66	-48,60,34
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				48,60,16

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2515'' अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	31320.00	21723.60	21723.60	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-9597.40			
मुख्य शीर्ष ''2552'' पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8762.00	..	..	..
पु.	R.	-8762.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	43538.00	57317.33	57317.33	..
पु.	R.	13779.33			

(I) ₹8762.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2552'' ''अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – पंचायती राज – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमों'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹8762.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj –Schemes for benefit of NEA" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''2515'' – ''पंचायती राज'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:–

(II) Under Major Head "2515" – "Panchayati Raj" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''कार्य अनुसंधान और प्रचार'' – ₹698.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान संस्थानों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, विज्ञापन एवं प्रचार के कम कार्यकलाप होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Action Research and Publicity" - saving of ₹698.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from research institutions, less advertising & publicity activities and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) ''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'' – ₹2895.33 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹9801.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा क्लसटर परियोजना के कार्यान्वयन में देरी, राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कम परामर्शदाताओं को रखे जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)" - saving of ₹2895.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9801.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) was due to delay in implementation of cluster project by National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, receipt of less proposals from the States/implementing agencies, hiring of less consultants and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) ''स्वामित्व'' – ₹6000.59 लाख की बचतें (₹20000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गांवों की बड़े पैमाने पर मैपिंग के लिए भारतीय सर्वेक्षण से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने और राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Svamitva" - saving of ₹6000.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from Survey of India for Large Scale Mapping (LSM) of villages and receipt of less proposals from States.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' – ''केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें'' – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" - under the following heads:-

(का) ''केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'' – ₹4542.77 लाख की बचत (₹21452.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "Central Assistance/Share - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - excess of ₹4542.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21452.00 lakhs);

(खा) ''अनुसूचित जाति के लिए संघटक योजना – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'' – ₹4614.33 लाख की बचत (₹14550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan(RGSA)" - excess of ₹4614.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14550.00 lakhs); and

(गा) ''जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'' – ₹4622.23 लाख की बचत (₹7536.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)" - excess of ₹4622.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7536.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.